न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर

वाद संख्या 78/2018 पुराने व 263/2019 नये नम्बर

1. पूरणचन्द पुत्र नानगा
2. माल्या पुत्र भूरा
3. हनुमान पुत्र भूरा

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामनारायण
2. साधूराम पुत्र रामनारायण
3. हरिनारायण पुत्र रामनारायण

जाति गूर्जर निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ हाल आंधी

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थित :-

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादीगण
2. श्री राजेशकुमार पारीक :-एडवोकेट प्रतिवादीगण

निणर्य दिनांक 28.3.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील वादीगण ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 3.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 164 रकबा 0.04 हैक्टेयर मय गै.मु. चाह अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2/311 रकबा 14 बीधा के नक्शा तरमीम शुद्वा अनुसार स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे मालिकाना स्वामित्व अनुसार स्थित है । जिसके वादीगण अधिकारी है वादीगण ने अपनी भूमि में पश्चिमी सीमा के अन्तर्गत तादादी पेड उगा रखे है तथा वहीं पर अपना आवासीय मकानात अर्से से दराज से बना रखा हे जो कि वादगरस्त भूमि व उसमें स्थित पेडो सहित वादीगण की खातेदारी भूमि मय निर्मित मकानात इत्यादि से प्रतिवादीगण को कोई लेना देना व सबंध नही है । वादग्रस्त भूमि के पश्चिम सीवडोल खसरा नम्बर 153 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 की भूमि एवं उसके पश्चिम सींवडोल खसरा नम्बर 152 अनुसार भूमि स्थित है तथा वादीगण की वादग्रस्त भूमि एवं खसरा नम्बर 152 व 153 के दक्षिण दिशा मे राजकीय भूमि स्थित है इसके अलावा खसरा नम्बर 152 के पश्चिम दिशा मे राजकीय सीवायचक भूमि स्थित है जो प्रतिवादीगणो के कब्जे मे है । जो कि प्रतिवादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि को राजकीय भूमि होना कहते हुए अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 153 की भूमि के आधार पर प्रतिवादीगण ने अपने परिवारजन सहित जबरन धुसपेठ सहित मौके पर स्वंय के हित में वादीगण के मौके पर पूर्व से निर्मिशद्वा मकानात व मकानात के आगे की विवादित भूमि मे कब्जा इत्यादि करने व मोके से वादीगण के पेडो को जेसीबी से उखाडने पर आमदा फिसाद होकर स्वयं का निर्माण व तारबन्दी करने पर आमदा है । अतः वादग्रस्त भूमियो के संबंध मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द्व किया जाकर डिक्री किया जावे कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि में अंतिक्रमण धुसपैठ कब्जा इत्यादि नहीं करावे तथा वादीगण के पूर्वानुसार कब्जे काश्त , कृषि कार्य सहित प्रत्येक उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बांधा दखल व्यवधान इत्यादि नहीं करे तथा वादीगण के पेडो की कटाई नहीं करे ।

प्रकरण दर्ज रजि. कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 3 की और से श्री राजेशकुमार पारीक एडवोकेट उपस्थित । तथा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 153 प्रार्थी (प्रतिवादीगण) 1 ता 3 की शामलाती भूमि है तथा उक्त भूमि पर वादी जबरन बारबन्दी व तामीरात कराने पर आमादा है तथा खसरा नम्बर 153 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर अपने हिस्से

की भूमि पर तारफेन्सीग कर दिया था जिसके अलगवा स्थित खसरा नम्बर 165 के खातेदारो ने रात्रि के समय उखाड दिया । तथा वादीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा व निर्माण करने की नियत से आमादा है प्रार्थी ने वादी को किसी प्रकार की धमकिया नहीं दी । अत जवाब दावा स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावें ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली मे अंकित तथ्यो व दस्तावेजो का अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है अत वादी का वाद विरूध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाता है कि ग्राम निम्भी तहसीलदार जमवारामगढ मे स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 3.50 हैक्टेयर व खसरा 164 रकबा 0.04 हैक्टेयर मय गै.मु. चाह अनुसार खसरा नम्बर 2/311 रकबा 14 बीधा में वादीगण की वादग्रस्त भूमि में अतिकमण धुसपैठ कब्जा इत्यादि नहीं करावे तथा वादीगण के पूर्वानुसार कब्जे काश्त , कृषि कार्य सहित प्रत्येक उपभोग उपयोग मे किसी प्रकार की बांधा दखल व्यवधान इत्यादि नहीं करे तथा वादीगण के पेडो की कटाई नहीं करे ।तथा वादीगण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 152,153 वाके ग्राम निम्भी तह. जमवारामगढ मे कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे दखल अन्दाज नहीं करें । वादी एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे को कब्जे व उपभोग मे दखल अन्दाज नहीं करें

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

डिकी मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीणा आर0ए0एस

वाद संख्या 78/2018 पुराने व 263/2019 नये नम्बर

1. पूरणचन्द पुत्र नानगा
2. माल्या पुत्र भूरा
3. हनुमान पुत्र भूरा
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामनारायण
2. साधूराम पुत्र रामनारायण
3. हरिनारायण पुत्र रामनारायण
   जाति गूर्जर निवासी ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ हाल आंधी
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थित

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादीगण
2. श्री राजेशकुमार पारीक :–एडवोकेट प्रतिवादीगण

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक 28.3.2023

निणर्य

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस व हाजिर श्री महेश शर्मा , श्री राजेशकुमार पारीक एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः **वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार** किया जाकर वादीगण का वाद विरूध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता ,तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाता है कि ग्राम निम्भी तहसील जमवारामगढ मे स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 3.50 हैक्टेयर व खसरा 164 रकबा 0.04 हैक्टेयर मय गै.मु. चाह अनुसार खसरा नम्बर 2/311 रकबा 14 बीधा में वादीगण की वादग्रस्त भूमि मे अंतिकमण धुसपैठ कब्जा इत्यादि नहीं करावे तथा वादीगण के पूर्वानुसार कब्जे काश्त , कृषि कार्य सहित प्रत्येक उपभोग उपयोग मे किसी प्रकार की बांधा दखल व्यवधान इत्यादि नहीं करे तथा वादीगण के पेडो की कटाई नहीं करे ।तथा वादीगण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नमबर 152 153 वाके ग्राम निम्मी तह. जमवारामगढ मे कब्जे काश्त व उपयोग उपयोग मे दखल अन्दाज नही करें । वादी एव प्रतिवादीगण एक दुसरे को कब्जे व उपभोग मे दखल अन्दाज नही करें

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय		
हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय		
हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ